



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14062024-254715
CG-DL-E-14062024-254715

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 302]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 14, 2024/ज्येष्ठ 24, 1946

No. 302]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 14, 2024/JYAISHTHA 24, 1946

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2024

सा.का.नि. 325(अ).—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 6क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2024 है।
(2) यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होगी।
- कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 में तालिका ख में स्तंभ (1) में प्रादिष्टि 34 से कम और स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि "13.173" के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

वर्ष	कारक
(1)	(2)
"35 से कम	14.2271
36 से कम	15.36555
37 से कम	16.59509
38 से कम	17.92303
39 से कम	19.35722

40 से कम	20.90618
41 से कम	22.57909
42 से कम	24.38586”

[फा. सं. एस -65015/01/2023-एसएस-II]

आलोक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: कर्मचारी पेंशन स्कीम ,1995 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 748(अ) तारीख 16 नवंबर, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या का.आ. 2061 (अ) तारीख 3 मई, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2024

G.S.R. 325(E).—In exercise of powers conferred by Section 6A read with sub-section (1) of section 7 of Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Pension Scheme, 1995, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) This Scheme may be called the Employees' Pension (Amendment) Scheme, 2024.

(2) This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Pension Scheme, 1995, in the 'Table B', after the entry "less than 34" in column (1) and the corresponding entry "13.173" in column (2), the following shall be inserted, namely:—

YEARS	FACTOR
(1)	(2)
"Less than 35	14.2271
Less than 36	15.36555
Less than 37	16.59509
Less than 38	17.92303
Less than 39	19.35722
Less than 40	20.90618
Less than 41	22.57909
Less than 42	24.38586”

[F. No. S-65015/01/2023-SS-II]

ALOK MISHRA, Jt. Secy.

Note: The Employees' Pension Scheme, 1995 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 748(E) dated the 16th November, 1995 and was last amended *vide* notification number S.O. 2061 (E) dated the 3rd May, 2023.